656/826



राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS (MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT VIDE ORDER DATED 21ST DAY OF JANUARY, 2025 PASSED BY THIS COMMISSION IN CASE NO. 289 OF 2023 (ST. XAVIER'S SCHOOL, SUA KA BAGH, VIRONDHA ROAD, DHOLPUR DISTRICT, RAJASTHAN-328024 VS PRINCIPAL SECRETARY, DEPARTMENT OF MINORITY AFFAIRS AND WAQF, GOVERNMENT SECRETARIAT, JAIPUR, RAJASTHAN -302005). ST. XAVIER'S SCHOOL, AN UNAIDED INSTITUTION, (SECONDARY LEVEL), RUN BY SOCIETY OF PILAR, PUNJAB-HARYANA (NGO DARPAN UNIQUE ID: HR/2018/0221082) HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004 WITH THE MAIN OBJECTIVE OF SUB-SERVING THE INTEREST OF THE CHRISTIAN COMMUNITY.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 29th DAY OF JANUARY, 2025.

(MANOJ KUMAR KEJREWAL) SECRETARY

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि 2023 के वाद संख्या 289 (सेंट जेवियर्स स्कूल, सुआ का बाग, विरोधा रोड, धौलपुर जिला, राजस्थान-328024 बनाम प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर, राजस्थान -302005) में आयोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2025 को पारित आदेश के अनुसार सेंट जेवियर्स स्कूल, एक गैर सहायता प्राप्त संस्थान (माध्यमिक स्तर) जो कि सोसायटी ऑफ पिलर, पंजाब-हिरयाणा (एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी: : HR/2018/0221082) द्वारा संचालित है, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(g) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ईसाई समुदाय का हितसाधन करना है।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुहर के तहत दिनांक 29 जनवरी, 2025 को दिया गया।

(मनोज कुमार केजरीवाल)

सचिव